

**राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान**  
 डॉ. के एस कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली - 110 012  
 14, सत्संग विहार मार्ग, नई दिल्ली - 110 067

सं.3/26/2016-आर एंड ए

28/12/2020

**कार्यालय-ज्ञापन**

**विषय: सीएसआईआर के पत्र सं 5-1(17)/2008-पीडी दिनांक 15-02-2011 के द्वारा वितरित डीओपीटी का.ज्ञा.सं.35034/3/2008-Estt.(D) के अनुसार केन्द्रीय कार्यालयों में स्थित गैर तकनीकी ग्रुप 'बी' एवं 'सी' कार्मिकों के लिए मोडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एमएसीपी)।**

मोडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अनुरूप किसी भी कार्मिक के सम्पूर्ण कार्यालयी सेवा कैरियर में एमएसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रोन्नति कार्मिक के सीधे भर्ती में नियुक्ति के समय के वेतनमान से नियमित पदोन्नति के विरुद्ध गिने जाएंगे। इसका अर्थ है कि एमएसीपी योजना के अन्तर्गत कार्मिक को तीन वित्तीय प्रोन्नति दी जाएगी यदि निर्धारित अवधि (10, 20, 30 वर्ष) के दौरान उसे कोई नियमित पदोन्नति प्राप्त न हुई हो। यदि किसी कार्मिक को पहले ही एक नियमित पदोन्नति प्राप्त हो गयी है, वह द्वितीय वित्तीय प्रोन्नति के लिए एमएसीपी योजना के अन्तर्गत 10 वर्ष की नियमित सेवा के पूर्ण होने के पश्चात ही योग्य माना जाएगा। किसी कार्मिक को नियमित आधार पर पहले ही तीन पूर्व पदोन्नति प्राप्त होने की दशा में एमएसीपी योजना के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

तदनुसार, 02 गैर तकनीकी ग्रुप B एवं 05 कैटीन ग्रुप C (भूतपूर्व ग्रुप D) कार्मिक जिन्होंने दिनांक 30-09-2020 तक वर्तमान ग्रेड में 10, 20 अथवा 30 वर्ष अथवा उससे अधिक की सर्विस पूर्ण कर ली है, की अस्थाई पात्रता सूची एमएसीपी योजना के अन्तर्गत विचार हेतु तैयार की गयी है जिसका अर्थ मात्र अगली उच्चतर ग्रेड पे/वित्तीय प्रोन्नति देना है। यद्यपि, यह योजना पदोन्नति योजना नहीं है, अतः इस उद्देश्य के लिए कोई वरिष्ठता मान्य नहीं होगी बल्कि वर्तमान ग्रेड में निर्धारित वर्षों की पूर्णता ही मान्य होगी:-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	सीधी भर्ती के अन्तर्गत प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वित्तीय प्रोन्नति के लिए योग्यता की प्रभावी तिथि पे-बैंड तथा ग्रेड-पे	वह तिथि जिससे अगला वित्तीय उन्नयन स्वीकार्य हो, उसका वेतनमान / स्तर (चाहे 10/20/30 वर्ष पूरा हो या 10 वर्ष के लिए एकल श्रेणी में ठहराव)	टिप्पणी / Remark
1.	श्री प्रमोद कुमार, सहा° अनु° अधि°(सा°)	सहा° (सा°) ग्रेड I Rs. Rs. 5500-9000 <b>27/07/2000</b>	I <sup>st</sup> MACP granted Rs. 9300-34800+ GP Rs. 4800/- w.e.f. 27/07/2010	Eligible Due w.e.f. 27/07/2020 9 <b>II<sup>nd</sup> MACP</b>	वर्तमान ग्रेड में 20 वर्ष
2.	श्री रणबीर सिंह, सहा° अनु° अधि°(सा°)	एल डी सी Rs. 950-1500 <b>16/05/1990</b>	II <sup>nd</sup> MACP granted Rs.5200-20200+GP 2800/- w.e.f. 03/12/2009 <b>Promoted</b> Rs. 9300-34800+ GP Rs. 4600/- w.e.f. 01/05/2014	Eligible Due w.e.f 30/08/2018 8 <b>III<sup>rd</sup> MACP</b>	वर्तमान ग्रेड में 30 वर्ष
3.	श्री एस के त्यागी, क्लर्क (ए सी पी)	कूपन क्लर्क Rs. 825-1200 <b>07/09/1990</b>	II <sup>nd</sup> MACP granted Rs. 5200-20200 with GPRs. 2800/- 07/09/2010	Eligible Due w.e.f 07/09/2020 6 <b>III<sup>rd</sup> MACP</b>	वर्तमान ग्रेड में 30 वर्ष
4.	श्री अशोक कुमार एमटीएस (कैटीन)	सफ़ाईवाला Rs. 750-940 05/09/1990	II <sup>nd</sup> MACP granted Rs. 5200-20200 with GPRs. 1900/- 05/09/2010	Eligible Due w.e.f 05/09/2020 3 <b>III<sup>rd</sup> MACP</b>	वर्तमान ग्रेड में 30 वर्ष
5.	श्री पी कृष्णस्वामी एमटीएस (कैटीन)	बैरा Rs. 750-940 06/09/1990	II <sup>nd</sup> MACP granted Rs. 5200-20200 with GPRs. 2000/- 06/09/2010	Eligible Due w.e.f 06/09/2020 4 <b>III<sup>rd</sup> MACP</b>	वर्तमान ग्रेड में 30 वर्ष

6.	श्री के मुथुस्वामी एमटीएस (कैटीन)	बैरा Rs. 750-940 05/09/1990	II <sup>nd</sup> MACP granted Rs. 5200-20200 with GPRs. 2000/- 05/09/2010	Eligible Due w.e.f 05/09/2020 4 <b>III<sup>rd</sup> MACP</b>	वर्तमान ग्रेड में 30 वर्ष
7.	श्री नाथु राम एमटीएस (कैटीन)	वाँशबाँय Rs. 750-940 05/09/1990	II <sup>nd</sup> MACP granted Rs. 5200-20200 with GPRs. 1900/- 05/09/2010	Eligible Due w.e.f 05/09/2020 3 <b>III<sup>rd</sup> MACP</b>	वर्तमान ग्रेड में 30 वर्ष

निस्केयर के दोनों परिसरों के सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को इस कार्यालय ज्ञापन से अवगत करायें।

वे जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका नाम इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। यद्यपि उन्होंने 10/20/30 वर्ष अथवा अधिक की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है अथवा वर्तमान ग्रेड में कार्य करते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं अथवा उनकी नियुक्ति तिथि ठीक नहीं दिखाई गयी है अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि है, के विषय में वे इस कार्यालय को **05/01/2021** तक अवश्य सूचित करें अन्यथा यह माना जाएगा कि उपरोक्त स्टाफ सदस्यों की श्रेणी में अन्य कोई व्यक्ति दिनांक 30-09-2020 तक एमएसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रौन्नति के विचारार्थ योग्य नहीं है।

(वीना जैन)  
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि:

1. सभी सम्बन्धित व्यक्ति (जिन कार्मिकों ने अपनी एसीआर प्रस्तुत नहीं की है, वे एमएसीपी के अन्तर्गत उनके केस पर विचार करने में देरी के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे)
2. सभी सूचना पट्ट (पूसा तथा एस वी मार्ग)
3. सभी अनुभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष - सूचनार्थ और अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों के मध्य सूचना देने के लिए
4. सम्बन्धित सहायक (एसीआर)
5. प्रमुख, आईटी - निस्केयर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. अनुभाग अधिकारी (स्थापना)